



क्रमांक: छगस्वावितविवि/परीक्षा/2020/..290


भिलाई, दिनांक: 29.01.2020

अधिसूचना

कार्य परिषद की 68वीं बैठक दिनांक 23.07.2019 में लिए गये निर्णयानुसार "विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक सेमेस्टर में एग्रीगेट 50 प्रतिशत से कम होने की वजह से अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने में असमर्थ होने वाले छात्रों को माननीय कुलपति महोदय द्वारा एग्रीगेट के लिए 5 अंक प्रदान किया जाता है।"

यह लाभ उन छात्रों को नहीं मिलेगा जो संबंधित अध्यादेश में दिए गए अन्य प्रावधानों से 5 अंक ग्रेस प्राप्त कर चुके हैं।

यह अधिसूचना परीक्षा सत्र नवम्बर-दिसम्बर 2019 से लागू होगी।


कुलसचिव 29/1/2020
छगस्वावितविवि, भिलाई